न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 09/2024 अपील

1. सीमा देवी पत्नी राजेश कुमार टाक निवासी गलगटी चौराहा, नया बाजार जहाजपुर जिला शाहपुरा।	बनाम	1. हनुमान प्रसाद टाक पुत्र लाभ चन्द टाक निवासी गलगटी चौराहा, नया बाजार जहाजपुर जिला शाहपुरा। 2. राजेश कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद टाक निवासी गलगटी चौराहा, नया बाजार जहाजपुर जिला शाहपुरा।
—अपीलार्थी		—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता– पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जहाजपुर प्रकरण संख्या 01/2022 दिनांक 20.02.2024

उपस्थित –

1. श्री हेमराज पूनियां अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री अंजनी कुमार चाष्टा अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 01 की ओर से।

न्यायालय जिला कलक्टर शाहपुरा (राज.)

निर्णय

दिनांक 24/7 – .2024

1. अपीलार्थी की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 16 माता– पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जहाजपुर प्रकरण संख्या 01/2022 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 माता– पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम दिनांक 20.02.2024 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व उपखण्ड मजिस्ट्रेट जहाजपुर ने अपने उक्त आदेश में अपीलार्थी के वर्तमान रिहायशी मकान को खाली कर विपक्षी संख्या 01 को 15 दिवस में संभलवाने का पूर्वाग्रह ग्रसित आदेश पारित किया है। विपक्षी संख्या 01 तथा उनके अन्य पुत्र संजीत कुमार, मनोज कुमार के मध्य विपक्षी संख्या 01 द्वारा स्वेच्छा से बंटवारा किया गया तथा उक्त भूखण्ड पर रहने हेतु अपीलार्थी को स्वयं के खर्चे पर निर्मित किये गये कमरा व रसोई तथा लेट–बाथ से बेदखल करने हेतु जानबूझकर उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसमें प्रथम दृष्टया पूर्व में उल्लेखित सजरे से ही दर्शित होता है कि उक्त प्रार्थना पत्र मात्र अपीलार्थी और उसके बच्चों को उनके रिहायशी मकान से बेदखल करने हेतु न्यायालय को गुमराह कर प्रस्तुत किया गया है। विपक्षी संख्या 01 ने अपने हक में आई हुई कृषि आराजियात जो ग्राम लक्ष्मीपुरा मे 2 बीघा तथा भीलवाड़ा में मुख्य

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा (राज.)

हाईवे पर मौजूद 2.5 वीघा तथा ग्राम रावतखेड़ा घाटारानी रोड पर मौजूद 18 बीघा खातेदारी भूमि से होने वाली उपज का सम्पूर्ण हिस्सा अपने पास सुरक्षित रखता है। कुछ समय पूर्व लक्ष्मीपुरा की जमीन तथा मुख्य हाईवे पर मौजूदा भूमि का कुछ हिस्सा लगभग 25 लाख रूपये में विपक्षी संख्या 01 ने वेचान कर प्राप्त होने वाली रकम को अपने अन्य दोनो पुत्रो संजीत कुमार व मनोज कुमार में बांट दी व कुछ हिस्सा स्वयं के पास सुरक्षित रख लिया तथा उक्त रकम में से एक फूटी कोडी भी विपक्षी संख्या 02 राजेश टाक या उसके परिवार को नहीं दी, इस पर भी अपीलार्थी ने उजरात कायम किया तो विपक्षी संख्या 01 ने कहा कि वह पूंजी उसकी स्वयं की है, उसकी मर्जी होगी, वहां खर्च करेगा, मर्जी होगी जिसे देगा। अधीनस्थ न्यायालय ने यहां यह भी नितिगत रूप से ध्यान नहीं रखा कि विपक्षी संख्या 01 के विपक्षी संख्या 02 के अलावा अन्य दो पुत्र और भी हैं। सीनियर सिटिजन एक्ट में कोई भी वरिष्ठ नागरिक जब अपने साथ हुए अत्याचारों बावत् न्यायालय से अनुतोष की मांग करता है तो वह अपनी सम्पूर्ण संतानों या उत्तराधिकारियों से बराबर मांग करेगा। यदि वह बराबर मांग नहीं करता है तो उसे यह अपने प्रार्थनापत्र मे स्पष्ट करना होगा। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश प्रार्थनापत्र मे इस प्रकार की कोई मांग अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं रखी गई और ना ही विपक्षी संख्या 01 ने अपने अन्य पुत्रों बाबत् न्यायालय को अवगत कराया। माता–पिता के भरण पोषण करने की नैतिक जिम्मेदारी उनके द्वारा उत्पन्न की गई सभी संतानो की बराबर होती है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त कानून के तहत प्रार्थनापत्र पेश करने के कुछ समय पूर्व तक विपक्षी संख्या 01, अपीलार्थी के साथ उसी घर में निवास करता था, परंतु कुछ समय पूर्व विपक्षी संख्या 01 के अन्य पुत्र संजीत कुमार व मनोज कुमार के बहकावे मे आकर अन्यत्र निवास करने लगा और विपक्षी संख्या 02 को बेघर करने के उद्देश्य से अपीलार्थी के विरूद्ध यह प्रार्थनापत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। विपक्षी संख्या 01 द्वारा मात्र अपने नाम उक्त भूखण्ड का पट्टा होने का नाजायज परिलाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह कर उक्त आक्षेपिक आदेश प्राप्त किया है, जबकि उक्त भूखण्ड में बने हुए कमरा, किचिन व लेट बाथ का निर्माण अपीलार्थी द्वारा स्वयं के खर्चे पर स्वयं के द्वारा करवाया गया था। इससे पूर्व उक्त भूखण्ड मात्र ढांचागत स्थिति मे ही था, जहां रहना कतई मुनासिब नहीं था, बावजूद इसके अधिनस्थ न्यायालय ने आक्षेपिक आदेश पारित फरमाकर भारी कानूनी मूल की है। विपक्षी संख्या 01 अपने पास स्थित कृषि आराजीयात से होने वाली आय के सम्पूर्ण हिस्से को अपने स्वयं के ऐशोआराम पर खर्च करता है तथा अपने अन्य दो पुत्र संजीत कुमार व मनोज कुमार को भी समय–समय पर पूंजी उपलब्ध करवाता रहता है, जो उक्त आमद से आसानी से अपना गुजर बसर कर सकने में सक्षम है. परंतु फिर भी नैतिकता के कारण अपीलाण्ट विपक्षी संख्या को अपने पास रख कर सेवा सुश्रुषा करने को तैयार व तत्पर है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 20.02.2024 को अपास्त कर अपीलार्थी को उक्त रिहायशी कमरे व किचिन लेट बाथ से बेदखल नहीं किया जाये।

2. प्रस्तुत अपील प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 02.04.2024 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षीगण को वजह जाहिर करने विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर शाहपुरा
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा (राज.)

3. दिनांक 16.07.2024 को विपक्षी संख्या 01 की ओर से अंजनी कुमार शास्त्री द्वारा वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली है। प्राप्त जवाब में विपक्षी संख्या 01 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रस्तुत अपील एवं प्रार्थना पत्र स्थगन मिथ्या एवं मनगढन्त तथ्यों के आधारा पर पेश किया गया जो कि सर्वथा खारिज होने योग्य है। अपीलार्थी ने जवाबदार को महज जलील व परेशान करने के लिए यह झूठा, बोगस, तथ्यों पर आधारित अपील पेश की है जो कानूनन मेंटेनेबल नहीं होने से चलने योग्य नहीं हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा–5 के तहत् प्रस्तुत किया गया। जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर द्वारा उक्त प्रकरण संख्या 1/2022 दर्ज कर उसमें विधिवत् सुनवाई कर आदेश दिनांक 20.02.2024 पारित किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा स्वयं उक्त सम्पूर्ण मकान विपक्षी संख्या 01 हनुमान प्रसाद द्वारा निर्मित किया जाना बताया है। स्वयं अपीलार्थी सीमा देवी के पति राजेश कुमार टांक द्वारा इकरार पत्र समाज के मौतबीर गवाहान की उपस्थिति में हस्ताक्षरित कर सम्पादित किया गया कि दिनांक 12.11.2018 को उक्त मकान खाली कर दिया जायेगा एवं समाज के मौतबीर व्यक्तियों की उपस्थिति में उक्त इकरार पत्र सम्पादित किया गया एवं उक्त इकरार पत्र दिनांक 13.09.2018 में समाज के मौतबीर व्यक्तियों के हस्ताक्षर एवं स्वयं अपीलार्थी के हस्ताक्षर भी हो रखें है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1/2022 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण अधिनियम 2007 अनवान हनुमान प्रसाद टांक बनाम राजेश कुमार वगैरा में आदेश दिनांक 20.02.2024 को पारित निर्णय में वर्णित सम्पति मुझ जवाबदार हनुमान प्रसाद की है, एवं उक्त सम्पति का निर्माण मुझ विपक्षी संख्या 01 हनुमान प्रसाद द्वारा अपनी सरकारी सेवा से सेवानिवृति से मिली राशि से उक्त मकान का निर्माण किया गया। विवादित सम्पति का पट्टा एवं रजिस्ट्री जिसकी प्रति विपक्षी संख्या 01 द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 1/2022 श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर के यहां प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.02.2024 की पालना स्थानीय अधिकारियों द्वारा आज दिनांक तक नहीं की गई जबकि पारित निर्णय में 15 दिवस में उक्त निर्णय की पालना हेतु आदेशित किया गया। इसका एक मात्र कारण मुझ गरीब व असहाय वृद्धजन को न्याय से वंचित करना है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 01.07.2024 को स्थगन प्रार्थना पत्र पर झूठे एवं मनगढन्त तथ्य प्रस्तुत कर बिना मुझ विपक्षी संख्या 01 को सुने आदेश दिनांक 01.07.2024 पारित करवा लिया गया जो कि सर्वथा खारिज होने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील दिनांक 02.04.2024 को श्रीमान् के यहां दर्ज प्रस्तुत की गई जो कि आदेश में वर्णित 15 दिवस की अवधि व्यतीत होने के बाद उक्त अपील प्रस्तुत की गई है जो कि सर्वथा खारिज होने योग्य है। अतः निवेदन है कि मुझ गरीब वृद्ध एवं असहाय व्यक्ति की व्यथा सुन मुझे वृद्ध व्यक्ति द्वारा स्वयं की सेवा निवृति के समय मिली राशि से बनाये गये आवासीय भवन में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णित आदेशानुसार मय जाब्ता पुलिस, प्रशासन सहित कब्जा मुझ विपक्षी संख्या 01 दिलाया जाना फरमाये एवं अपीलार्थी द्वारा झूठे तथ्यों पर पेश इस अपील को खारिज करना फरमायें।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा (राज.)

4. प्रकरण में अपीलार्थी अधिवक्ता एवं विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से बहस प्रस्तुत कर अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि यह भरण पोषण का मामला नहीं है, क्योंकि भरण

पोषण की जिम्मेदारी समस्त संतानों की होती है। विपक्षी संख्या 01 की तीन संतानें संजीत कुमार, राजेश कुमार व मनोज कुमार हैं। विपक्षी संख्या 01 एक राजकीय सेवानिवृत्त कार्मिक है उसे पेंशन भी मिलती है व उसे भरण पोषण की जरूरत नहीं है। यह मकान पुश्तैनी है ना कि स्वअर्जित, जिसका स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत विपक्षी संख्या 01 ने पट्टा बनाया है। अपीलार्थी इसमें अपने परिवार के साथ निवास कर रही है। अपीलार्थी व विपक्षी संख्या 02 अभी भी विपक्षी संख्या 01 को अपने साथ रखना चाहते है, परन्तु विपक्षी संख्या अपीलार्थी को उसके परिवार समेत घर से बेदखल करना चाहता है। विपक्षी संख्या 01 के नाम 35 बीघा पुश्तैनी आराजियात है, इसमें से 01 बीघा 07 बिस्वा के करीब हाईवे पर है जिसका बेचान कर प्राप्त रकम विपक्षी संख्या 01 द्वारा कर अपने सबसे बड़े पुत्र संजीत कुमार एवं सबसे छोटे पुत्र मनोज कुमार को दे दी गई। यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ। यह सम्पत्ति का विवाद है, इसे मध्यस्थता में भेजना चाहिए था। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा हस्तगत पेश किये गए जिन्हें शामिल पत्रावली किया।

5. अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 की ओर से बहस प्रस्तुत कर जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि विपक्षी संख्या 01 द्वारा सेवानिवृत्ति पर प्राप्त राशि से मकान का निर्माण कराया गया है व वर्तमान में विपक्षी संख्या 01 को पेंशन बहुत कम मिलती है। उक्त मकान का पट्टा विपक्षी संख्या 01 को स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत दिया गया है, जिसका पंजियन स्वयं विपक्षी संख्या 01 हनुमान प्रसाद कि नाम पर है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दो वर्ष तक चला है। अपीलार्थी विपक्षी संख्या 01 की पुत्र वधु है एवं विपक्षी संख्या 02 उनके पुत्र हैं। पुत्रवधु को कोई अधिकार नहीं है कि वह ससुर की संपत्ति पर कब्जा करे। प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा अंकित किया गया कि उक्त विवादित संपत्ति के जिस हिस्से में वह निवास कर रही है उसका निर्माण अपीलार्थी ने स्वयं के खर्चे पर करवाया है। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में जवाब में स्वयं अपीलार्थी ने स्वीकार किया है कि उक्त संपूर्ण मकान का निर्माण विपक्षी संख्या 01 ने करवाया है। अतः झूठे एवे गलत तथ्यों के आधार पर की गई इस अपील को खारिज करना फरमावें। साथ ही विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा 2018(4) DNJ(Raj.)1526 नजीर प्रस्तुत की जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

6. प्रस्तुत बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि विपक्षी संख्या 01 को उक्त रिहायशी मकान का पट्टा संख्या 487 दिनांक 08.07.2013 नगर पालिका जहाजपुर द्वारा स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत जारी किया गया था जिसका पंजीयन भी विपक्षी संख्या 01 के नाम है। ऐसे में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि उक्त मकान विपक्षी संख्या 01 को विरासतन मिला है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि विपक्षी संख्या 01 द्वारा दिनांक 11.08.2016 को सहमति बटवारनामे के माध्यम से अपनी विभिन्न अचल संपत्ति तीनों पुत्रों में कुछ शर्तों पर बांट दी गई थी। जिसमें एक शर्त यह भी थी कि उक्त रिहायशी मकान के ग्राउंड फ्लोर पर निर्मित रसोई व कमरा इत्यादि जीवन पर्यांत विपक्षी संख्या 01 के हक में रहेगी। परंतु अब तक वहां अपीलार्थी एवं विपक्षी संख्या 02 का कब्जा है। यहां यह भी कहना सुसंगत होगा कि अपीलार्थी जो कि विपक्षी संख्या 01 की पत्रवधू है, उनका उक्त विवादग्रस्त मकान के रिहायशी भाग पर

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा (राज.)

कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्षी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत नजीर से भी स्पष्ट है कि यदि संतान माता–पिता के प्रति अपने दायित्वों का पालन नहीं करती है तो उसे माता–पिता की इच्छा के विरूद्ध उनके मकान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में जो तथ्य पेश किये गए, वे उचित हैं। ऐसे में यह अपील तथ्य एवं सारहीन होने से खारिज करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने योग्य ठहरती है। अतएव–

आदेश

7. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 16 माता– पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम विरूद्ध अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जहाजपुर के प्रकरण संख्या 01/2022 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 माता– पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 20.02.2024 को यथावत रखने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय की पालना 15 दिवस में करवाई जाकर की गई कार्यवाही से न्यायालय को अवगत करावें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जहाजपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 23.7.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर शाहपुरा (राज.)

23/7/24

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
शाहपुरा (राज.)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा (राज.)